तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्याःडी.ई.–25 (13) / 234 / वि.कार्य / 2017–18 / 1650–1651 दिनांकः– 06 / 08 / 2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः– विधानसभा तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या 17 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियॉ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054 (150 कापियॉ)

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

तारांकित प्रश्न संख्या :– 17

दिनांक :– 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :–. श्री पवन कुमार शर्मा

क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर बहुत धांधली है,	दिल्ली के निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर/गाइडलांइस के आधार पर व समय समय पर जारी माननीय न्यायालयों के आदेशानुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं। यदि किसी निजी विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में कोई शिकायत शिक्षा निदेशालय को प्राप्त होती है, तो उस विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।
(ख)	क्या निजी स्कूलों में माता–पिता/अभिभावकों की स्कूल प्रबन्धन समिति गठित करने की कोई गाइडलाइन्स हैं;	जी हाँ।
(ग)	यदि हॉ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और	निजी विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन DSEAR, 1973 के नियम 59 के तहत किया जाता है, जिसमें अधिक से अधिक 21 सदस्य हो सकते हैं। इस स्कूल प्रबंधन समिति में एक सदस्य पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन (PTA) के द्वारा चुने जाते हैं।
(घ)	यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?	लागू नहीं होता।

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi